हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
7/2/2022 S. [signature] [signature]	अधिवक्ता वादीगण श्री मंगरलाल मीणा मय वादी उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित अधिवक्ता वादीगण ने वाद की नियत तारीख पेशी दिनांक 23/03/2022 से आज ही तलब किये जाने एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. पर वादीगण को सुना जाकर वाद को विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता वादीगण के आवेदन पर पत्रावली नियत तिथी दिनांक 23/03/2022 से तलब कर आज सुनवाई हेतु पेशी पर ली गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी पर अधिवक्ता वादीगण को सुना गया। अधिवक्ता वादीगण ने दौराने बहस कथन किया कि वाद पुरानी जमाबन्दी के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जिससे वाद प्रस्तुत करने मे तकनिकी एवं प्रक्रियात्मक त्रुटिया रह गई है उक्त त्रुटियो के कारण वादीगण का यह वाद विफल हो सकता है। जिससे वादीगण नया वाद लगाने की अनुमति के साथ यह वाद विड्रो करना चाहते है। अधिवक्ता वादी का कथन है कि वाद प्रस्तुत करते समय राजस्व रिकार्ड मे वादग्रस्त आराजी मे वादीगण के पिता/पति शिवनारायण पुत्र कनीराम जी की खातेदारी का 3/8 हिस्सा दर्ज था। किन्तु वादीगण के पिता/पति शिवनारायण की मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर वारिसान वादीगण का प्रत्येक का 3/56 3/56 हि० सहखाते का दर्ज हुआ। जिससे वादी संख्या 3 वादी सं. 4, वादी सं. 5 वादी [illegible] 3 कंचन देवी पत्नि [illegible] 5 हक त[illegible] /2022 के पेटे संयुक्त खातेदारी [illegible] सम्पूर्ण हक का हक त्याग रिलीज वादीगण सं. 1 व 2 के पक्ष मे कर दिया। एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उसकी खातेदारी के दो [signature] **सहायक कलेक्टर** **(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)**

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:11:45 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
हिस्सो मे से 1/4 हि. रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के पंकज कुमार पुत्र दिलीपकुमार एंव प्रदीपकुमार पुत्र दिलीपकुमार को विक्रय हस्तातरण कर दिया। जिससे की जरिये बेचान के इसके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत होकर पंकज कुमार व प्रदीपकुमार के 1/8, 1/8 हिस्से के दर्ज सहखातेदार दर्ज हो गये है। एंव प्रतिवादी सं. 1 का मात्र 3/8 हिस्सा सह खातेदारी का रकबा। जिससे वर्तमान राजस्व अभिलेख के पक्षकारान के खातेदारी हिस्सो मे बदलाव होने से वाद हाजा का संशोधन करने नये सह खातेदारो को पक्षकार बनाये जाने आदि मे अत्यधिक कठिनाईया एंव जटिलताऐ पैदा होगी। जिससे वादीगण का प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना-पत्र के तहत नया वाद लाने की अनुमति प्रदान करते हुए वादीगण का यह वाद जरिये विड्रोवल खारीज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक एंव न्याय हित मे स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण को नया वाद लाने की अनुमति दी जाकर यह वाद जरिये विड्रोवल खारिज किया जाता है। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली) निर्णय आज [illegible] मेरे द्वारा लिखवाया जाकर [illegible] सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot Date: 2022.04.19 16:11:45 IST Reason: SelfAttested सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	